22-4-24

पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। बहस में प्रकट तथ्यों व दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार निम्बाहेड़ा को 500/–रूपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी व प्रार्थी की भूमि से लगे हुए सभी पड़ोसी खातेदारों को सूचना–पत्र जारी करते हुए उनकी उपस्थिति में, मौके पर कोई विवाद नहीं होने की स्थिति में तथा किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं होने पर प्रार्थी की खातेदारी आराजियात वाके मौजा मेवासा पटवार हल्का अरनोदा तहसील निम्बाहेड़ा में खाता संख्या 58 की आराजी नंबर 50 रकबा 0.0100 हैक्टयेर, आराजी नंबर 51 रकबा 0.2800 हैक्टयेर, आराजी नंबर 52 रकबा 0.0500 हैक्टेयर, आराजी नंबर 53 रकबा 0.3000 हैक्टयेर, आराजी नंबर 56 रकबा 0.0200 हैक्टयेर, आराजी नंबर 57 रकबा 0.1500 हैक्टयेर, आराजी नंबर 58 रकबा 0.3600 हैक्टयेर कुल किता 7 कुल रकबा 1.1700 हैक्टयेर भूमि की किसी भी पक्ष के कब्जे में दखल दिये बगैर नियमानुसार पत्थरगढ़ी करें। कमिश्नर [illegible] प्रार्थी से वसूल की जावें। पत्थरगढ़ी किये जाने की पालना रिपोर्ट 15 दिवस में पेश करें। पत्थरगढ़ी हु[illegible] सुनाया जाकर अलग से कम्प्युटराइज्ड करा शा.का. [illegible] किया गया जिसकी प्रति तहसीलदार निम्बाहेड़ा को पालनार्थ [illegible] जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.08.27 15:26:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा